

30.01.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2017 / 00160

अपील संख्या 15 / 2017 (प्रा.पत्र)

उनवान:- बाबूलाल बनाम योगेश

वकील अपीलांट उप.। प्रकरण अधी. न्याया में निर्णीत हो चुका है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।